अध्याय V

प्रशासनिक मंत्रालयों एवं सीपीएसईज़ के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

5.1 प्रस्तावना

समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रशासनिक मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) प्रबंधन के बीच वित्तीय वर्ष शुरू होने से पूर्व लक्ष्य निर्धारण हेतु आपसी सहमति करार है और इसका आशय इन लक्ष्यों के प्रति सीपीएसई के निष्पादन का मूल्यांकन करना है। इसमें सीपीएसई और सरकार की मंशा, उसके दायित्व और आपसी जिम्मेदारियाँ निहित होती हैं तथा नियंत्रण एवं प्रक्रियाओं की बजाए परिणामों तथा लक्ष्यों द्वारा सीपीएसई प्रबंधन का सुदृढ़ करना निर्देशित है। सीपीएसईज़ की सहायक कंपनियों को अपनी धारक कंपनियों के साथ समझौता करार पर हस्ताक्षर करना होता है।

5.2. संस्थागत व्यवस्था

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) सीपीएसईज़ और प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है और सीपीएसईज़ प्रबंधन के निष्पादन के मूल्यांकन करने का एक तंत्र प्रदान करता है। यह एक प्रणाली प्रदान करता है जिसके माध्यम से एमओयू लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और वर्ष के अंत में दोनों पक्षों की प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन किया जाता है। संस्थागत व्यवस्था एवं उनके अंतर्संबंध इस प्रकार हैं:

(i) उच्चाधिकार प्राप्त समिति - सर्वोच्च स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) अंतिम मूल्यांकन का अनुमोदन करती है जो कि यह स्पष्ट करता है कि दोनों पक्षों द्वारा प्रतिबद्धताओं को कितना पूरा किया गया है।

(ii) कार्यबल - कार्यबल में सेवानिवृत्त सिविल सेवक, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकारी, प्रबंधन क्षेत्र के पेशेवर और स्वतंत्र सदस्य होते हैं जिन्हें संबंधित क्षेत्र में अनुभव हो।

कार्यबल का मुख्य कार्य है (i) स्पष्टीकरण एवं समझौता वार्ताओं के माध्यम से वर्ष के आरंभ में एमओयू पर चर्चा करना तथा उसे अंतिम रूप देना, तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना और (ii) वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक सीपीएसई के समेकित स्कोर का मूल्यांकन करना। कार्यबल के स्थान पर मई 2016 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी)[29] का गठन किया गया। 2015-16 के लिए एमओयू का मूल्यांकन आईएमसी द्वारा किया जाएगा।

(iii) डीपीई में एमओयू डिवीज़न - डीपीई में एमओयू डिवीज़न द्वारा एचपीसी एवं कार्यबल/आईएमसी की सहायता की जाती है जो एचपीसी एवं कार्यबल/आईएमसी के स्थायी सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।

5.3 निष्पादन मूल्यांकन एवं रेटिंग हेतु एमओयू लक्ष्य

वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के एमओयू में दो भाग थे, वित्तीय लक्ष्य अथवा अचल मापदण्ड और गैर-वित्तीय अथवा परिवर्तनीय मापदण्ड, दोनों बराबर 50 प्रतिशत महत्व अनुपात में है। वित्तीय मापदण्ड कारोबार, लाभप्रदता और विभिन्न वित्तीय अनुपातों से संबंधित है, जबकि गैर वित्तीय मापदण्ड में परियोजना कार्यान्वयन, उत्पादकता और आंतरिक प्रक्रियायें, तकनीक, गुणवत्ता, नवीन पहलों के साथ-साथ सेक्टर विशिष्ट मापदण्ड शामिल हैं। सीपीएसई एवं प्रशासनिक मंत्रालय के सुझाव से कार्यबल प्रत्येक मापदण्ड के लिए लक्ष्य एवं महत्व निर्धारित करता है।

'उत्कृष्ट' एवं 'घटिया' निष्पादन के बीच अंतर के नजरिए से प्रत्येक मापदण्ड का पांच बिन्दु पैमाने पर मूल्यांकन किया जाता है अर्थात्, 'उत्कृष्ट' के लिए पांच फिर एक-एक घटाते हुए 'बहुत अच्छा', 'अच्छा', 'ठीक' और 'घटिया' (वर्ष 2014-15 में यह रेटिंग उल्टे क्रम में थी अर्थात् 'उत्कृष्ट' के लिए एक तथा 'घटिया' के लिए पांच)। सीपीएसई का वास्तविक निष्पादन प्रत्येक मापदण्ड हेतु अस्थाई स्कोर से परिलक्षित होता है और

---

[29] आईएमसी में सचिव डीपीई इसके अध्यक्ष, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि, सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि, अतिरिक्त सचिव, नीति आयोग या उनके प्रतिनिधि सदस्य रूप में होते हैं। सचिव, डीपीई यदि वह उचित समझे किसी ऐसे अधिकारी का भी चयन कर सकते हैं जो वित्त विशेषज्ञ हो।

अलग-अलग पैमानों के दिए गए स्कोर को मिलाकर समेकित स्कोर की गणना की जाती है।

5.4 एमओयू के निर्धारण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया

एमओयू लक्ष्य निर्धारण एवं मूल्यांकन में निहित प्रक्रिया निम्नलिखित है:

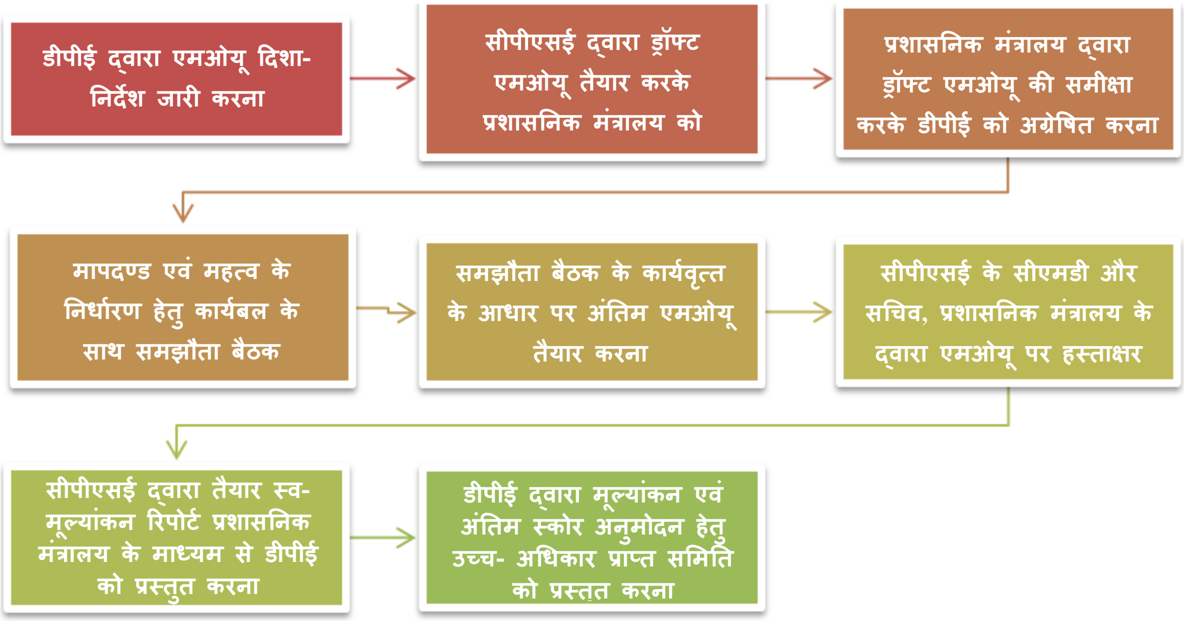

5.5 विश्लेषण का क्षेत्र

इस विश्लेषण में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए सात 'महारत्न' सीपीएसईज़ के एमओयू शामिल हैं। जबकि लेखापरीक्षा में वर्ष 2014-15 के लिए एमओयू के निर्धारण एवं मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की गई थी, वर्ष 2015-16 के लिए एमओयू के मूल्यांकन की जांच नहीं की गई थी क्योंकि यह पूर्ण नहीं हुआ था (सितम्बर 2016)। विश्लेषण हेतु चयनित सात 'महारत्न' कंपनियों का विवरण तथा वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए उनकी एमओयू रेटिंग नीचे दी गई है:

सीपीएसई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	एमओयू रेटिंग				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	अच्छा
एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी)	विद्युत	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	कोयला	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	इस्पात	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा

5.6 विश्लेषण का उद्देश्य

विश्लेषण का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि क्या:

(i) एमओयू, डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किए गए थे और लक्ष्य व्यावहारिक एवं सीपीएसई की वार्षिक योजना के अनुसार थे;

(ii) सीपीएसईज़ द्वारा प्रस्तुत सूचना/डाटा के सत्यापन हेतु डीपीई/प्रशासनिक मंत्रालयों में प्रभावी तंत्र था;

(iii) सीपीएसईज़ को सरकार से एमओयू में सहमति के अनुसार प्रतिबद्धता/सहायता मिली;

(iv) सीपीएसईज़ द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों/डीपीई को समय पर आवधिक विवरणियाँ/ रिपोर्टें प्रस्तुत की गई; और

(v) उपलब्धियाँ एमओयू लक्ष्यों के अनुरूप थीं।

5.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने सात 'महारत्न' सीपीएसईज़ द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ हस्ताक्षरित एमओयूज़ के साथ-साथ वर्ष 2014-15 एवं 2015-16[30] के लिए उनके मूल्यांकन रिपोर्टों की भी जांच की। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है। सीपीएसईज़ के उत्तर, जहां प्राप्त हुए हैं, को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

5.7.1 एमओयूज़ तैयार करना एवं उन पर हस्ताक्षर करना

5.7.1.1 निदेशक मण्डल द्वारा ड्रॉफ्ट एमओयूज़ की मंजूरी

डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान था कि एमओयूज़ और स्व-मूल्यांकन रिपोर्टें डीपीई को प्रस्तुत करने से पूर्व सीपीएसईज़ के बोर्ड द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि एनटीपीसी प्रबंधन ने 2014-15 और 2015-16 के एमओयूज़ और स्व-मूल्यांकन रिपोर्टें बोर्ड के अनुमोदन के बिना डीपीई/प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत कीं।

एनटीपीसी ने कहा (दिसंबर 2016) कि एनटीपीसी बोर्ड ने जीओआई के साथ हस्ताक्षर किये जाने वाले ड्राफ्ट एमओयू को अंतिम रूप देने तथा अनुमोदन करने हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी को प्राधिकृत किया था तथा इसे डीपीई/प्रशासनिक मंत्रालय को वर्ष के अंत में मूल्यांकन कर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था।

तथ्य यह रह गया कि ड्राफ्ट एमओयूज़ तथा स्वमूल्यांकन रिपोर्टें डीपीई को प्रस्तुत होने से पहले बीओडी द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थीं जैसा कि डीपीई दिशानिर्देशों में प्रावधान है।

डीपीई ने कहा (जनवरी 2017) कि उसने एमओयू तथा स्वमूल्यांकन को सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अग्रेषित माना था।

उत्तर से यह पुष्टि होती है कि डीपीई ने अपने स्वयं के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया था।

---

[30] 2015-16 के लिए स्व मूल्यांकन रिपोर्ट जैसा कि सीपीएसईज़ द्वारा प्रस्तुत की गई थीं, विचारार्थ ली गई है।

5.7.1.2 वार्षिक योजना/बजट/निगम योजना के अनुरूप एमओयू लक्ष्य तय करना

एमओयू दिशा-निर्देशों के अनुसार, एमओयू लक्ष्य सीपीएसई की वार्षिक योजना, बजट एवं निगम योजना के अनुरूप होने चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान था कि वार्षिक योजना, वार्षिक बजट एवं निगम योजना की प्रति के साथ-साथ ड्रॉफ्ट एमओयू की एक अग्रिम प्रति डीपीई को भेजी जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा किः

- एनटीपीसी ने 2014-15 और 2015-16 के ड्रॉफ्ट एमओयूज़ के प्रस्तुतीकरण के समय डीपीई को वार्षिक योजना, वार्षिक बजट एवं निगम योजना की प्रतियाँ प्रस्तुत नहीं की। इसके बजाए इन दस्तावेजों का एक 'सार' प्रस्तुत किया गया।
- आईओसीएल ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 के ड्रॉफ्ट एमओयू के साथ-साथ पिछले वर्ष (2013-14 एवं 2014-15) से संबंधित वार्षिक बजट/वार्षिक योजना की प्रतियाँ प्रस्तुत की।
- सेल के मामले में एमओयू लक्ष्य (वित्तीय एवं गैर-वित्तीय दोनों) संबंधित निदेशालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचना/लक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किए गए और वार्षिक योजना या बजट पर विचार नहीं किया गया।

एनटीपीसी ने बताया (दिसंबर 2016) कि निगम योजना तथा वार्षिक बजट का 'सार' प्रस्तुत किए गए थे, चूंकि ये दोनों बहुत बड़े आकार के दस्तावेज थे।

सेल ने बताया (जुलाई 2016) कि अक्टूबर/नवम्बर माह में ड्रॉफ्ट एमओयू बनाया गया था और उस समय वार्षिक योजना लक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। आईओसीएल ने बताया (नवम्बर 2016) कि बजट अनुमोदन सामान्यतया वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में लिया जाता था, जिस समय तक ड्रॉफ्ट एमओयू पहले ही डीपीई को प्रस्तुत कर दिया गया था।

सीपीएसईज़ का उत्तर दर्शाता है कि एमओयू में निर्धारित निष्पादन लक्ष्य एवं उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वार्षिक योजनाओं और बजट में विसंगती हो सकती थी जो एमओयू दिशा-निर्देशों की अपेक्षा के अनुसार नहीं है।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि सीपीएसईज़ हेतु लक्ष्य एमओयू दिशानिर्देशों के पैरा 3 के अनुसार संबद्ध दस्तावेजों, योजना तथा बजट पर आधारित थे, और प्रस्तावित लक्ष्य कार्यबल द्वारा समझौता बैठक में तय किए गए थे जिसमें सीपीएसई का बोर्ड और प्रशासनिक मंत्रालय के संयुक्त सचिव मौजूद थे।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि सीपीएसईज़ ने एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार संबद्ध वर्षों की वार्षिक योजना/वार्षिक बजट/कारपोरेट योजना प्रस्तुत नहीं की थी।

5.7.1.3 एमओयू पर हस्ताक्षर करना

डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार, एमओयूज़ पर सीपीएसईज़ और प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के 25 मार्च से पूर्व हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने बीएचईएल और सीआईएल में एमओयू हस्ताक्षर में विलम्ब देखा। बीएचईएल के मामले में वर्ष 2014-15 और 2015-16 के एमओयू हस्ताक्षर में क्रमश: 43 दिनों और 70 दिनों की देरी थी। सीआईएल के मामले में वर्ष 2015-16 के लिए एमओयू हस्ताक्षर करने में 83 दिनों की देरी थी।

बीएचईएल ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि ड्रॉफ्ट एमओयूज़ समय के भीतर प्रस्तुत कर दिए गए थे और मंत्रालय/कार्यबल के साथ बातचीत समाप्ति के बाद तथा डीपीई द्वारा ड्रॉफ्ट एमओयू के सत्यापन के बाद हस्ताक्षर किया गया था। समझौता बैठकें डीपीई/ कार्यबल द्वारा तय की गई थी और वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की अंतिम समझौता बैठकें क्रमश: 11 अप्रैल 2014 और 20 जुलाई 2015 को की गई थी। इसलिए देरी बीएचईएल द्वारा नहीं थी ।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाए कि दोनों वर्षों के लिए समझौता बैठकें बीएचईएल के अनुरोध पर स्थगित की गई थी। इसके अलावा, समय पर एमओयूज़ का निर्धारण करना सीपीएसई, प्रशासनिक मंत्रालय और डीपीई की जिम्मेदारी थी और ऐसा किए जाने हेतु बेहतर समन्वय अनिवार्य है।

डीपीई ने कहा (जनवरी 2017) कि एमओयू पर हस्ताक्षर एमओयू लक्ष्य तय करने की बैठक के निष्कर्ष पर निर्भर था।

उत्तर एमओयूज़ पर हस्ताक्षर करने में विलंब की पुष्टि करता है।

5.7.2 एमओयू लक्ष्य निर्धारित करना

5.7.2.1 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मियों के साथ बेंचमार्किंग

डीपीई दिशा-निर्देशों में प्रावधान था कि सहकर्मी कम्पनियों, राष्ट्रीय एवं वैश्विक दोनों के साथ बेंचमार्किंग अन्य सूचकों के बीच वित्तीय मानकों के निर्धारण का आधार बनना चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि समझौता बैठक के दौरान कार्यबल के समक्ष केवल कुछ सामान्य जानकारी प्रस्तुत करने को छोड़कर 2014-15 और 2015-16 के एमओयूज़ हेतु वित्तीय मापदण्डों के मामले में एनटीपीसी द्वारा बेंचमार्किंग पर कोई विचार नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि आईओसीएल ने वर्ष 2014-15 के लिए ड्रॉफ्ट एमओयू प्रस्तुत करते समय उस समय रिपोर्ट उपलब्ध होने के बावजूद विश्वभर के सहकर्मियों के साथ अपनी रिफाइनरियों के निष्पादन की तुलना के लिए सोलोमन एसोसिएट्स[31] की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया।

एनटीपीसी ने कहा (दिसंबर 2016) कि वर्ष 2014-15 के लिए लक्ष्य उपलब्ध बेंचमार्कों के आधार पर विस्तृत चर्चाओं तथा विभिन्न स्तरों पर समीक्षाओं के बाद तय किए गए हैं।

लेखापरीक्षा जांच और कंपनी का उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि बेंचमार्किंग प्रक्रिया जो कि एमओयूज़ में निष्पादन मानक तय करने के लिए दिशानिर्देश के रूप में कार्य करती, उसे नहीं किया गया था।

आईओसीएल ने कहा (नवम्बर 2016) कि वित्तीय विवरण उस समय के भौतिक एवं मूल्यों के आधार पर बनाए गये थे, जिसमें मूल्यों को सभी तेल विपणन कम्पनियों द्वारा समान तरीके से माना गया था।

[31] बेंचमार्किंग सोलोमन एसोसिएट्स के माध्यम से समूचे भारत में सार्वजनिक क्षेत्र तेल रिफाइनरियों के लिए सेंटर फॉर हाई टेक्नॉलाजी (पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत) द्वारा किया जाता है।

उत्तर से पुष्टि होती है कि उपयुक्त रिपोर्ट उपलब्ध होने के बावजूद भी एमओयू बनाते समय बेंचमार्किंग नहीं की गई थी।

डीपीई ने कहा (जनवरी 2017) कि एमओयू दिशानिर्देशों 2015-16 के पैरा 3.5 के अनुसार एमओयू लक्ष्य उद्योग के बेंचमार्क पर आधारित उपयुक्त लक्ष्यों पर विचार करते हुए सीपीएसई द्वारा बैंचमार्किंग अध्ययन के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से प्रस्तावित किए जाने थे। चूंकि प्रशासनिक मंत्रालय ने एमओयू लक्ष्यों को अग्रेषित किया था, अतः इन पर कार्यबल ने विधिवत विचार किया था।

उत्तर पुष्टि करता है कि डीपीई ने अपने स्वंय के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

5.7.2.2 कमजोर एमओयू लक्ष्य निर्धारित करना

(i) डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार, एमओयू लक्ष्य वास्तविक के साथ-साथ विकास उन्मुख, प्रेरक और वार्षिक योजना, बजट तथा सीपीएसई की निगम योजना के अनुरूप और दी गई तथा परिकल्पित परिस्थितियों के तहत लक्ष्य अधिकतम प्राप्य होने चाहिए। एनटीपीसी द्वारा प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्यों और उनके प्रति वास्तविक प्राप्ति के विश्लेषण से पता चला कि कई मामलों में लक्ष्य (एनटीपीसी द्वारा प्रस्तावित एवं कार्यबल द्वारा अनुमोदित के अनुसार) पिछले वर्ष की उपलब्धि से कम थे, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

वर्ष	कर/निवल बचत के पश्चात लाभ (% में)		कर पश्चात/कर्मचारी लाभ (₹/लाख में)		घोषित क्षमता (कोयला) (% में)		घोषित क्षमता (गैस) (% में)	
	'उत्कृष्ट' रेटिंग हेतु लक्ष्य	वास्तविक	'उत्कृष्ट' रेटिंग हेतु लक्ष्य	वास्तविक	'उत्कृष्ट' रेटिंग हेतु लक्ष्य	वास्तविक	'उत्कृष्ट' रेटिंग हेतु लक्ष्य	वास्तविक
2012-13	9.81*	10.84	-	52.88	88.00	87.62	89.50	93.14
2013-14	8.37*	12.79	-	46.87	86.00	91.79	88.00	95.24
2014-15	5.73	13.33	21.49	45.75	84.00	88.70	86.00	92.18
2015-16	6.66	11.23	26.74	47.35	पैरामीटर नहीं है		पैरामीटर नहीं है	

* *शुद्ध लाभ/शुद्ध कीमत*

तालिका दर्शाती है कि पिछले वर्षों में एनटीपीसी द्वारा दर्ज उच्चतर उपलब्धियों के बावजूद लगातार कम लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ऐसे कम लक्ष्य के कारण 2014-15

और 2015-16 में वास्तविक उपलब्धि 'उत्कृष्ट' रेटिंग हेतु निर्धारित लक्ष्य से काफी अधिक हो गई। यह देखा गया कि कार्यबल ने एमओयूज़ में प्रस्तावित लक्ष्य की तुलना में एनटीपीसी की वास्तविक क्षमता पर उचित ध्यान नहीं दिया। इससे लक्ष्य निर्धारण और ऐसे लक्ष्यों के आधार पर निष्पादन मूल्यांकन करने का उद्देश्य हतोत्साहित हुआ।

एनटीपीसी ने उत्तर दिया (दिसंबर 2016) कि लक्ष्य विद्युत मंत्रालय/डीपीई पर विस्तृत चर्चा करने के बाद तय किए जाते हैं और कार्यबल/आईएमसी की बैठकों के दौरान इन पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा, विद्युत क्षेत्र में वर्तमान परिदृश्य तथा समग्र अर्थव्यवस्था इत्यादि जैसे कारकों पर भी लक्ष्य निर्धारित करते समय विचार किया गया जाता है।

तथ्य रह जाता है कि वास्तविक उपलब्धियां लक्ष्यों से कहीं अधिक थीं।

(ii) वर्ष 2014-15 के लिए एनटीपीसी के एमओयू में एक मापदण्ड के रूप में भूरे के उपयोग की शुरूआत की गई। इस मापदण्ड के प्रति 'बहुत अच्छा' रेटिंग के लिए निर्धारित लक्ष्य 2013-14 में प्राप्त वास्तविक मात्रा की अपेक्षा 10 प्रतिशत अधिक था। एनटीपीसी 2014-15 में इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। वर्ष 2015-16 के लिए मापदण्ड को बदलकर 'उत्पादित कुल मात्रा की उपयोग प्रतिशत' और '100 प्रतिशत भूरा उपयोग वाले चार स्टेशनों तथा 80 से 100 प्रतिशत उपयोग वाले तीन स्टेशनों' की 'उत्कृष्ट' रेटिंग निर्धारित किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस मापदण्ड पर रिपोर्टिंग के लिए एनटीपीसी ने ऐसे स्टेशनों का चयन किया जिन्होंने बहुत ही कम मात्रा में भूरा उत्पादन किया (चयनित स्टेशनों में कुल भूरा उत्पादन का केवल 11 प्रतिशत उत्पादन हुआ)। इन स्टेशनों ने उत्पादित कुल भूरे का उपयोग किया और एनटीपीसी ने इस मापदण्ड के प्रति लक्ष्य पूरा कर लिया। हालांकि, अत्यधिक मात्रा में भूरे का उत्पादन करने वाले अन्य स्टेशनों ने अपने उत्पादन का 8.73 से 42.66 प्रतिशत तक का ही उपयोग किया।

एनटीपीसी ने उत्तर दिया कि एनटीपीसी के सभी लक्ष्य कार्यबल/डीपीई द्वारा विस्तृत चर्चा के बाद तय किए गए हैं।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखे जाने की आवश्यकता है कि भूरे उत्पादन में कम मात्रा का योगदान करने वाले स्टेशनों का चयन करने के परिणामस्वरूप एमओयू रेटिंग हेतु भूरे के उपयोग का चयन करने का उद्देश्य असफल हो गया था।

(iii) सेल के निगम सामग्री प्रबंधन समूह ने 'ई-क्रय' मापदण्ड के प्रति 2014-15 के एमओयू में 'उत्कृष्ट' एवं 'बहुत अच्छा' रेटिंग के लिए क्रमश: कुल खरीद का 35 प्रतिशत और 33 प्रतिशत एमओयू लक्ष्य निर्धारित किया (दिसंबर 2013)। हालांकि, सेल ने अंतिम एमओयू में क्रमश: 33 प्रतिशत और 31 प्रतिशत लक्ष्य दर्शाया। इस मापदण्ड के प्रति 2014-15 में वास्तविक प्राप्ति 36.83 प्रतिशत थी। जबकि 2015-16 में, सेल ने बहुत कम लक्ष्य अर्थात 35 प्रतिशत निर्धारित किया। इस प्रकार बेहतर रेटिंग प्राप्त करने के लिए लगातार कम स्तर के लक्ष्य निर्धारित किए गए जिससे एमओयू तंत्र का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

सेल ने बताया (जुलाई 2016) कि 2014-15 और 2015-16 में 'ई-क्रय' के प्रति एमओयू लक्ष्य 2013-14 (31.75 प्रतिशत) और 2014-15 (36.83 प्रतिशत) में वास्तविक उपलब्धि को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया था।

उत्तर से पुष्टि होती है कि लक्ष्य पिछले वर्ष में वास्तविक उपलब्धि से भी कम स्तर पर निर्धारित किए गए थे जिससे बेहतर निष्पादन हेतु आवश्यक जोर प्राप्त नहीं होगा।

(iv) सेल के 2015-16 के ड्रॉफ्ट एमओयू में मापदण्ड, 'प्राप्य ट्रेड (डेब्टर्स टर्नओवर अनुपात) की औसत संग्रहण अवधि' के प्रति 'उत्कृष्ट' रेटिंग हेतु 31 दिन, 'बहुत अच्छा' रेटिंग हेतु 32 दिन और 'घटिया' रेटिंग हेतु 35 दिन से आगे का लक्ष्य रखा गया था। निदेशक (वित्त) के निर्देशानुसार, रेलवे से भुगतान में प्राप्ति में देरी के कारण इन लक्ष्यों को 36 दिनों ('उत्कृष्ट') से 40 दिनों ('घटिया') तक कर दिया गया था। लक्ष्यों में परिवर्तन औचित्यपूर्ण नहीं था चूँकि 2014-15 के एमओयू में 'उत्कृष्ट' रेटिंग हेतु इस मापदण्ड के प्रति लक्ष्य 31 दिन था और उन्हें पूरा भी कर लिया गया था। लक्ष्य में कमी एमओयू के माध्यम से निष्पादन के बेहतरी के लक्ष्य उद्देश्यों के अनुरूप नहीं था।

(v) 2014-15 के लिए एनटीपीसी के एमओयू में 'क्षमता संवर्धन' को गैर वित्तीय मापदण्ड के रूप में शामिल किया गया। इस मापदण्ड के तहत परियोजनाओं में 31 मार्च

2015 तक लक्षित पूर्णता के साथ राजगढ़ सोलर पीवी परियोजना शामिल थी। इसी प्रकार, 2014-15 के भेल के एमओयू में गैर-वित्तीय मापदण्ड के तहत एक मापदण्ड के रूप में 'एनटीपीसी के साथ समूह लक्ष्य' शामिल था जिसमें 'उत्कृष्ट' रेटिंग हेतु मार्च 2015 तक शुरू होने वाली सोलर पीवी तलचेर और ऊँचाहार परियोजनाएं शामिल थी। दोनों कम्पनियों के स्व-मूल्यांकन रिपोर्टो की समीक्षा से पता चला कि सभी तीन परियोजनायें मार्च-अप्रैल 2014 में ही पूरी हो गई थी (एनटीपीसी के एमओयू में राजगढ़ सोलर पीवी परियोजना 30 अप्रैल 2014 को पूर्ण; बीएचईएल एमओयू में तलचेर एवं ऊँचाहार परियोजनायें क्रमश: 28 मार्च 2014 और 31 मार्च 2014 को पूर्ण हो गई थी)। इस प्रकार, लक्ष्य निर्धारित करते समय ये परियोजनायें या तो पूर्ण हो चुकी थी या पूर्ण होने वाली थी और 'उत्कष्ट' रेटिंग प्राप्त करने हेतु इन्हें एमओयू में शामिल किया गया था। यह भी देखा गया कि कार्यबल/डीपीई ने एमओयू को अंतिम रूप देते समय परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था।

एनटीपीसी ने बताया (दिसंबर 2016) कि राजगढ़ सोलर 2014-15 के शुरू में पूर्ण होना अपेक्षित था और सभी परियोजनाओं हेतु अपेक्षित संपूर्णता तिथि प्रबंधन को ज्ञात होती हैं, जिसका यह मतलब नहीं है कि कंपनी को किसी परियोजना को समय सीमा से पहले पूरा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए अथवा उस वर्ष के एमओयू लक्ष्यों में पूर्ण होने वाली अपेक्षित परियोजनाओं को शामिल नहीं करना चाहिए।

भेल ने बताया (नवम्बर 2016) कि एमओयू पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कार्यबल/डीपीई को परियोजना की पूर्णता तिथि के बारे में बताया गया था। सोलर पीवी आदेशों की अनुपलब्धता के कारण और चूंकि कार्यबल द्वारा पैरामीटर को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका था, अत: भेल के पास इन परियोजनाओं को शामिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

उत्तरों को इस तथ्य के प्रति देखा जाए कि एमओयूज़ में इन परियोजनाओं को शामिल करते समय सीपीएसईज को ज्ञात था कि यह परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी है या शीघ्र पूरी हो जाएंगी, इससे एमओयू प्रक्रिया का मूल अभिप्राय समाप्त हो जाता है।

उपरोक्त (i) से (iv) के संदर्भ में, डीपीई ने कहा (जनवरी 2017) कि विभिन्न

सीपीएमईज़ के संदर्भ में कमजोर लक्ष्यों के मामले को उच्च स्तरीय समिति[32] (एचपीसी) के समक्ष लाया गया था जहां एचपीसी ने पाया कि कार्यबल ने क्षेत्र विशिष्ट निवर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लक्ष्य तय किए होंगें और यह भी कि उद्योग व क्षेत्र के परिवर्तनशील हालातों के कारण लक्ष्यों के सदैव पिछले वर्ष की उपलब्धियों से अधिक न रहने की संभावना है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि पिछले वर्षों में उच्चतर उपलब्धियों के बावजूद लक्ष्य लगातार कमतर तय किए गए थे, तथा ऐसे लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियां भी अधिक थीं।

5.7.2.3 डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार समझौता ज्ञापन लक्ष्यों में विसंगति

2014 -15 तथा 2015-16 के लिए जारी एमओयू दिशानिर्देशों ने दर्शाया कि सीपीएसईज आरएण्डडी के प्रत्येक ग्रुप के अंतर्गत अधिकतम दो और तीन उप-पैरामीटरों का चयन कर सकती थी। सेल के संबंध में वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए एमओयूज़ की संवीक्षा से पता चला कि आरएण्डडी के तहत् केवल एक परियोजना शामिल की गई थी।

सेल ने बताया (सितम्बर 2016) कि दिशानिर्देशों के अनुसार 2014-15 में आरएण्डडी कें अंतर्गत दो पैरामीटरों से अधिक का और 2015-16 में तीन से अधिक का प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता था जिसके प्रति इन्होने 2014-15 और 2015-16 में प्रति वर्ष एक परियोजना का प्रस्ताव रखा था।

इस उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाए कि यद्यपि एमओयू दिशानिर्देशों में दो और तीन उप-पैरामीटरों का चयन अपेक्षित था, फिर भी सेल 2014-15 और 2015-16 में एक पैरामीटर का ही प्रस्ताव कर सका था।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि आरएण्डडी टेम्प्लेट एमओयू 2014-15 तथा 2015-16 के लिए अनिवार्य नहीं था। आरएण्डडी परियोजनाएं सीपीएसईज़ द्वारा उनकी आवश्यकताओं के आधार पर प्रस्तावित की जाती थीं। तथा लक्ष्य कार्यबल द्वारा समझौता बैठक में तय किए जाते थे।

---

[32] उच्च स्तरीय समिति कैबिनेट सचिव के अधीन होती है जो इस बात के अंतिम मूल्यांकन का अनुमोदन करती है कि दोनों पक्षों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को कितना पूर्ण किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए एमओयू दिशानिर्देशों में इंगित किया गया था कि आरएण्डडी हेतु पैरामीटर संबद्ध डीपीई दिशानिर्देशों तथा जारी ओएमके अनुरूप प्रस्तावित किये जाने थे। अतः संबद्ध दिशानिर्देश लागू थे।

5.7.3 प्रशासनिक मंत्रालय से प्रतिबद्धता

एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित सीपीएसई के बोर्ड में गैर-आधिकारिक निदेशकों के पदों को समय पर भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से विशेष प्रतिबद्धता को एमओयूज़ में शामिल किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई दिशानिर्देशों[33] के अंतर्गत अपेक्षाओं का अननुपालन हुआ है, एनटीपीसी ने गैर-आधिकारिक निदेशकों की अपेक्षित संख्या को भरने के लिए विद्युत मंत्रालय से विशेष प्रतिबद्धता को एमओयू में शामिल नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के प्रति एनटीपीसी में 31 मार्च 2015 तक केवल दो स्वतंत्र निदेशक थे और 2015-16 के दौरान रिक्त पदों में तीन से सात तक का अंतर था।

एनटीपीसी ने उत्तर दिया (दिसंबर 2016) कि ड्राफ्ट एमओयूज़ पर विस्तृत चर्चा की गई है और इन्हें डीपीई द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा निदेशक बोर्ड पर निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास है।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि यद्यपि एमओयू तंत्र में गैर अधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति हेतु प्रशासनिक मंत्रालय से प्रतिबद्धता प्राप्त करने तथा तत्पश्चात डीपीई द्वारा उसका सत्यापन करने का पर्याप्त प्रावधान है, तथापि कंपनी द्वारा इसका उपयोग नहीं किया गया। यह भी पाया गया कि अन्य छः महारत्न सीपीएसईज़ के मामले में, गैर-अधिकारिक निदेशकों का नामांकन उनके प्रशासनिक मंत्रालयो द्वारा

[33] (i) सूचीकरण कार्य तथा प्रकटन आवश्यकता विनियमावली, 2015 द्वारा यथा संशोधित पूर्व सूचीकरण करार का खण्ड 49 और (ii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हेतु कार्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों, 2010 के अनुसार एनटीपीसी बोर्ड में कम से कम 50 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। इसी प्रकार, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार एनटीपीसी के बोर्ड के एक-तिहाई निदेशक स्वतंत्र होने चाहिए

प्रतिबद्धता के रूप में एमओयूज़ में शामिल किया गया था।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कमिटमेंट सहायता पर रिपोर्ट को एमओयू मूल्यांकन सहित अध्यक्ष, एचपीसी को प्रस्तुत किया गया था।

उत्तर लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि करता है कि यदि एनटीपीसी ने स्वतंत्र निदेशकों की निर्धारित संख्या पर नियुक्ति को एमओयू में शामिल किया होता, तो इसे प्राप्त किया जा सकता था।

5.7.4 समूह लक्ष्यों में विसंगति

एनटीपीसी तथा भेल के 2014-15 के एमओयूज़ में इन सीपीएसईज द्वारा पारस्परिक करार के आधार पर संयुक्त प्रयासों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले गैर वित्तीय पैरामीटरों के तहत 'समूह लक्ष्यों' को शामिल किया गया था। इन पैरामीटरों का मूल्यांकन संयुक्त प्रयासों से किया जाएगा और पॉयंट/शास्ति को भी सीपीएसईज के मध्य साझा किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यबल द्वारा अनुमोदित नौ परियोजनाओं के प्रति, भेल तथा एनटीपीसी के एमओयूज़ में 10 परियोजनाओं को शामिल किया गया था। भेल के एमओयू में दो परियोजनाओं (सोलर पीवी तलचेर तथा पीवी उंचाहार) तथा एनटीपीसी के एमओयू में एक परियोजना (सिंगरौली स्माल हाइड्रो) का कार्यबल ने अनुमोदन नहीं किया था। इसके अलावा, एनटीपीसी के एमओयू में शामिल सिंगरौली स्माल हाइड्रो परियोजना को भेल के एमओयू में शामिल नहीं किया गया था। इसी प्रकार, हालांकि भेल के समझौता ज्ञापन में दो परियोजनाओं (सोलर पीवी उंचाहार तथा तलचेर) को दर्शाया गया था, फिर भी एनटीपीसी के एमओयू में इनका कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया था और इन्हें सोलर पीवी (45 एमडब्ल्यू) के रूप में बताया गया था।

एनटीपीसी ने उत्तर दिया (दिसंबर 2016) कि एनटीपीसी हेतु लक्ष्य कार्यबल द्वारा तैयार कर लिए गए हैं और चूंकि विसंगतियों का मसला एनटीपीसी के कार्यक्षेत्र से बाहर है, अतः कंपनी इस पर कोई टिप्पणियां नहीं करेगी।

भेल ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि सोलर पीवी 45 एमडब्ल्यू के लिए, भेल के पास न तो एनटीपीसी से आदेश था और न ही प्रतिबद्धता। गैर-मौजूद 45 एमडब्ल्यू सोलर

पीवी के बजाय एनटीपीसी से दो मौजूद आदेश अर्थात, सोलर पीवी तलचेर तथा उंचाहार लिए गए थे।

यह उत्तर पुष्टि करता है कि 'समूह लक्ष्यों' तथा कार्यबल में विसंगति थी तथा सीपीएसईज ने एमओयू लक्ष्यों को निर्धारित करते समय इस पैरामीटर के अंतर्गत कवर की जाने वाली पृथक परियोजनाओं को विशेष रूप से नहीं दर्शाया।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि एनटीपीसी और भेल द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए ग्रुप लक्ष्य दोनों सीपीएसईज़ के एमओयू लक्ष्यों में शामिल किए गए थे।

उत्तर पुष्टि करता है कि यद्यपि डीपीई ग्रुप लक्ष्यों के तय करने में शामिल था, परंतु लक्ष्यों के बीच विसंगति को एमओयू अनुमोदन स्तर पर चिन्हित व तय नहीं किया गया था।

5.7.5 एमओयू के अंतर्गत निष्पादन तथा सीपीएसईज द्वारा स्व-मूल्यांकन

5.7.5.1 अनुमानित उत्पादन का समावेशन

एनटीपीसी के 2014-15 और 2015-16 के एमओयू में यह बताते हुए एक फुटनोट शामिल किया गया था कि वित्तीय पैरामीटरों को सकल उत्पादन के आधार पर तैयार किया गया था जिसमे डीम्ड उत्पादन शामिल है, अत: यह ग्राहकों द्वारा मांगी गई अनिर्धारित विद्युत की सीमा तक वास्तविक से भिन्न होगी। लेखापरीक्षा में संवीक्षा से पता चला कि एनटीपीसी वर्ष 2014-15 तक अपनी स्व मूल्यांकन रिपोर्ट में इस एमओयू पैरामीटर के प्रति निष्पादन के मापन हेतु वास्तविक उत्पादन (डीम्ड उत्पादन को छोड़कर) को रिपोर्ट कर रही थी।

तथापि, एनटीपीसी ने 2015-16 की स्व:मूल्यांकन रिपोर्ट में इस पैरामीटर के प्रति सकल उत्पादन (डीम्ड उत्पादन सहित) की सूचना दी थी। इसके परिणामस्वरूप एनटीपीसी की एमओयू स्व मूल्यांकन रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों में असमानता भी आई थी; 2015-16 के वित्तीय विवरणों में ₹ 70,506.80 करोड़ का बिक्री टर्नओवर दर्ज था जबकि स्व मूल्यांकन रिपोर्ट में ₹ 89,161.18 करोड़ (डीम्ड उत्पादन सहित) का बिक्री टर्नओवर दर्ज था। इसके परिणामस्वरूप 'बिक्री टर्नओवर', 'बिक्री टर्नओवर/ निवल अवरोध', 'सकल

प्रचालन अंतर', 'कर पश्चात लाभ/ निवल मूल्य आदि जैसे वित्तीय पैरामीटरों के प्रति प्रचालनात्मक निष्पादन में वृद्धि हुई। बिक्री टर्नओवर में डीम्ड उत्पादन का समावेशन भी डीपीई द्वारा जारी एमओयू दिशानिर्देशों में दी गई 'बिक्री टर्नओवर'[34] की परिभाषा के अनुसार नहीं था। यद्यपि, एनटीपीसी ने पैरामीटर के प्रति 'उत्कृष्ट' रेटिंग (10 अंक) का दावा किया था, जबकि प्रमाणित वित्तीय विवरणों के अनुसार वास्तविक टर्नओवर को देखते हुए रेटिंग 'खराब' होगी (दो अंक)। यदि प्रमाणित वित्तीय विवरणों के अनुसार वास्तविक निष्पादन पर विचार किया जाए तो एनटीपीसी की समग्र रेटिंग 'उत्कृष्ट' (93.65 अंक) से 'बहुत अच्छा' (82.45 अंक) में बदल जाएगी जिसका प्रभाव वर्ष 2015-16 के लिए कर्मचारियों को किए जाने वाले निष्पादन संबंधी वेतन के संभावित भुगतान पर भी पड़ेगा।

एनटीपीसी ने उत्तर दिया (दिसंबर 2016) कि 'स्वमूल्यांकन रिपोर्ट में दावा की गई उपलब्धि' एनटीपीसी द्वारा एमओयू के प्रावधानों के अनुसार की गई है। डीम्ड उत्पादन के प्रभाव को एमओयू में एक तात्कालिक प्रावधान के अनुसार शामिल किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीम्ड उत्पादन का अनुमानिक राजस्व एमओयू दिशानिर्देशों में व्याख्या की गई कंपनी की सामान्य गतिविधियों से बिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता। इसके अलावा उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि 2015-16 में आंकडों को रिपोर्ट करते समय, वित्तीय मापंदडों के प्रति प्रचालन निष्पादनों को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, जो कि एनटीपीसी द्वारा 2014-15 की अपनी स्वमूल्यांकन रिपोर्ट में पालन की गई प्रक्रिया के विलोम है। इसके अतिरिक्त, अनुमोदित तथा प्रमाणित वित्तीय परिणामों को एमओयू पेरामीटरों के प्रति रिपोर्ट करते हुए संशोधित नहीं किया जा सकता है।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि इसे एमओयू समझौता बैठक में तय निर्णयनुसार कर लिया गया था जिसमें माने गए उत्पादन सहित सकल उत्पादन हेतु वित्तीय पैरामीटरों को समायोजित किया जाना था।

---

[34] एमओयू दिशानिर्देशों में 'बिक्री टर्नओवर' को माल की बिक्री तथा सेवा प्रदान करने के उद्यम के सामान्य कार्यकलापों के दौरान सकल नकद प्रवाह, प्राप्यों या अन्य प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया गया था। इसका मापन ग्राहक को आपूरित माल और उनको दी गई सेवाओं हेतु उन पर लगाए गए प्रभारों द्वारा किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। माने गए उत्पादन को एमओयू दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित बिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता है। माने गए उत्पादन को शामिल कर, वर्ष 2015-16 हेतु वित्तीय पैरामीटरों के प्रति निष्पादन बढ़ा कर दर्शाये गए हैं। इसके अलावा, वर्ष 2014-15 के लिए यद्यपि सकल उत्पादन को एमओयू में शामिल किया गया था, तथापि एनटीपीसी का निष्पादन वास्तविक वित्तीय डाटा के आधार पर रिपोर्ट तथा आकलित किया गया था।

5.7.5.2 पूर्व परीक्षण की तिथि को परियोजनाओं की प्रवर्तन तिथि मानना

सेल के 2014-15 और 2015-16 के एमओयू में क्रमश: पॉच प्रतिशत तथा चार प्रतिशत की भारिता के साथ उप पैरामीटर 'परियोजनाओं हेतु माइलस्टोन निष्पादन सूचकांक' दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 'उत्पादन शुरू होने/सफल पूर्व परीक्षण की तिथि' को इस पैरामीटर के मूल्यांकन हेतु परियोजना की पूर्णता तिथि माना गया था। यह परियोजनाओं के ठेकागत प्रावधानों के अनुसार प्रवर्तन तथा प्रचालन के रूप में परियोजना की पूर्णता को मानने की सामान्यत: स्वीकृत पद्धतियों के अनुरूप नहीं था। इससे सेल को इस पैरामीटर के प्रति पूर्ण स्कोर ('उत्कृष्ट' रेटिंग) का दावा करने का अनुचित लाभ मिला यद्यपि परियोजनाएं वास्तविक रूप से पूर्ण नहीं हुई थी या प्रचालन में नहीं थी।

सेल ने बताया (अगस्त 2016) कि इस पैरामीटर से सांख्यिकीय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, डीपीई तथा कार्यबल सहमत थे। ठेके के अनुसार सुविधा की शुरूआत एक माइलस्टोन था जो ठेकागत दायित्व के अनुपालन के आधार पर भुगतान करने हेतु बनाया गया था।

इस उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि 'उत्कृष्ट' रेटिंग देने के लिए डीपीई/कार्यबल द्वारा स्वीकृत किए गए निष्पादन पैरामीटर सामान्यत: स्वीकृत पद्धतियों के अनुसार नहीं थे और इससे सेल को अनुचित लाभ मिला। किसी भी निष्पादन मूल्यांकन को एमओयू तंत्र के माध्यम से अर्थपूर्ण परिणामों हेतु सीपीएसई के वास्तविक निष्पादन और कार्यचालन परिवेश से जोड़ा जाना चाहिए।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि उपलब्धि को तय लक्ष्य के संदर्भ में मूल्यांकित किया गया था।

हालांकि, तथ्य रह जाता है कि वित्तीय तथा गैर-वित्तीय पैरामीटरों को प्रत्येक पैरामीटर द्वारा निष्पादन में अपना लक्ष्य प्राप्त करने पर मूल्यांकित किया गया है। अतः इस मामलें में ट्रायल की तिथि के स्थान पर परियोजना शुरू करने को भी विचारार्थ लिया जाना चाहिए था, जो कि इस संबंध में सीपीएसई के निष्पादन का स्पष्ट संकेत होगा।

5.7.6 डीपीई को गलत रिपोर्टिंग

5.7.6.1 गलत/अपूर्ण प्रमाणीकरण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएमएसएमई) द्वारा जारी सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई को सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसईज़) से कुल 20 प्रतिशत न्यूनतम खरीद करनी होगी। 20 प्रतिशत का उप लक्ष्य (अर्थात 20 प्रतिशत का चार प्रतिशत) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमी के स्वामित्व वाली एमएसईज से खरीद हेतु निर्धारित किया जाएगा। एमओयू दिशानिर्देशों में प्रावधान था कि उपरोक्त आदेश के अननुपालन से कार्यबल के विवेकानुसार एक अंक की कटौती की जाएगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि भेल तथा सेल ने प्रमाणित किया था कि उन्होने वर्ष 2014-15 के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का पालन किया था, फिर भी यह प्रमाणीकरण तथ्यात्मक रूप से गलत थे। 2014-15 के दौरान एमएसएमईज से खरीद भेल के मामले में 17 प्रतिशत तथा सेल के मामले में 13 प्रतिशत थी। एससी/एसटी उद्यमियों से की गई खरीद दोनों कम्पनियों (भेल तथा सेल) में शून्य थी। यह प्रमाणीकरण डीपीई, कार्यबल तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा स्वीकार किए गए थे, जबकी एमएसएमई ने भारी उद्योग विभाग को सूचना दी (नवम्बर 2015) कि भेल ने एमएसएमई दिशानिर्देशों के अनुसार वांछित प्रतिशतता प्राप्त नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि गेल ने प्रमाणित किया था कि इसने वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान क्रमश: 19 प्रतिशत तथा 21.59 प्रतिशत एमएसएमई खरीद की थी। हालांकि यह प्रमाणीकरण 2014-15 में एससी/एसटी उद्यमियों से चार प्रतिशत खरीद करने पर मौन था जबकि यह 2015-16 में 0.02 प्रतिशत था।

भेल ने बताया (नवम्बर 2016) कि अधिदेशी लक्ष्य, जिसमे एससी/एसटी के स्वामित्व वाली एमएसईज़ से चार प्रतिशत खरीद शामिल है, वर्ष 2014-15 के लिए लागू नहीं थे। सेल ने बताया (जुलाई 2016) कि कतिपय मदें (अर्थात ट्रेडमार्क युक्त मदें, कच्चा माल, आयातित मदें , पीएसयूज़ तथा सरकार से प्राप्त मदें आदि) एमएसईज की विनिर्माण रेंज से परे थी तथा इन्हे एमएसईज़ तथा एसी/एसटी से प्रतिशतता आदेशों की गणना करते समय छोड़ दिया गया था। गेल ने बताया (नवम्बर 2016) कि 2014-15 में लक्ष्य प्राप्त न करने के कारण कार्यबल द्वारा इसे दण्डनीय ठहराया गया था, यद्यपि उक्त की आधिकारिक रूप से सूचना नहीं दी गई थी। 2015-16 के लिए मूल्यांकन अभी शुरू किया जाना था।

यद्यपि अपेक्षित प्रतिशतता की प्राप्ति 2015-16 के बाद से अनिवार्य थी, फिर भी इससे यह तथ्य समाप्त नहीं होता है कि सीपीएसईज के प्रमाणीकरण तथ्यात्मक रूप से गलत या अपूर्ण थे और यह कि कार्यबल द्वारा अंतिम मूल्यांकन में कोई नकारात्मक मार्किंग नहीं की गई थी। इससे यह भी पता चला कि सीपीएसईज निष्पादन और उनके स्व प्रमाणीकरण के स्तर की प्रति जांच के लिए डीपीई और एमएमएसएमई के बीच उचित समन्वय की आवश्यकता थी। इसके अलावा, एमएसएमई दिशानिर्देशों के अननुपालन के लिए सीपीएसईज को दंडित करने में कोई अनुरूपता नहीं थी।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि वह 2014-15 हेतु बोर्ड स्तर अधिकारी के प्रमाणपत्र पर निर्भर रहा था चूंकि अधिसूचना की तिथि से अर्थात 2014-15 तक के तीन वर्षों हेतु एमएसई से खरीदना अनिवार्य नहीं था। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार बोर्ड गलत प्रमाणपत्र देने हेतु जिम्मेदार था। हालांकि 2015-16 के लिए चूंकि यह अनिवार्य था, अतः डीपीई एमएसएमई द्वारा दिए गए अनुपालन के लिए बोर्ड प्रमाणीकरण तथा सूची पर निर्भर था। यह भी कहा गया कि 2015-16 के लिए 132 सीपीएसईज़ के संबंध में नकारात्मक मार्किंग की गई है।

डीपीई इस बात से सहमत हुआ कि उसने 2014-15 के लिए बोर्ड स्तर अधिकारी के प्रमाणपत्र पर निर्भर किया और बोर्ड गलत प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार है। इसके

अलावा, उत्तर से यह स्पष्ट नहीं है कि उपरोक्त संदर्भित सीपीएसईज़ को वर्ष 2015-16 के दौरान नकारात्मक अंक दिए गए थे।

5.7.6.2 स्व-मूल्यांकन में गलत सूचना

(i) उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति (ईआरएमसी) की तिमाही बैठक को 2014-15 के लिए एनटीपीसी के एमओयू में गैर-वित्तीय लक्ष्यों के अन्तर्गत मानदंड के रूप में शामिल किया गया था और ईआरएमसी की चार और तीन बैठकों को 'उत्कृष्ट' और 'बहुत अच्छा' रेटिंग के लिए प्रस्तावित किया गया था। 2014-15 की स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट में 100 प्रतिशत उपलब्धि दर्शायी गई थी और एनटीपीसी को 'उत्कृष्ट' रेटिंग मिली थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि एनटीपीसी यह पैरामीटर प्राप्त नहीं कर सका था, चूंकि ईआरएमसी ने केवल तीन तिमाही बैठकें की थी जिसके लिए एनटीपीसी 'बहुत अच्छा' रेटिंग के योग्य था।

एनटीपीसी ने उत्तर दिया कि चार ईआरएमसी बैठकों का लक्ष्य चार तिमाहियों को कवर करने हेतु रखा गया था और 29 जनवरी 2015 की ईआरएमसी बैठक में, वित्तीय वर्ष 2014-15 के क्यू 2 और क्यू 3 अर्थात दो तिमाहियों से संबंधित मसलों पर विचार किया गया था।

तथ्य रह जाता है कि 2014-15 के दौरान ईआरएमसी की केवल तीन बैठकें आयोजित की गई थी।

(ii) उपलब्धता कारक (कोयला) को वर्ष 2015-16 के लिए एनटीपीसी के समझौता ज्ञापन में गैर-वित्तीय पैरामीटरों के अंतर्गत मानदंड के रूप में शामिल किया गया था, 'उत्कृष्ट' रेटिंग के लिए 90 प्रतिशत उपलब्धि का लक्ष्य रखा गया था। यद्यपि एनटीपीसी ने स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट में 92.53 प्रतिशत की प्राप्ति के बारे में बताया था और 'उत्कृष्ट' रेटिंग का दावा किया था, वर्ष 2015-16 की एनटीपीसी की वार्षिक रिपोर्ट से पता चला कि इसने 88.06 प्रतिशत प्राप्त किया था।

एनटीपीसी ने उत्तर दिया (दिसंबर 2016) कि 2015-16 में रिजर्व शटडाउन कार्यों का कुल प्रभाव 4.47 प्रतिशत बैठता है। अतः रिर्जव शटडाउन सहित वास्तविक उपलब्धता

कारक 92.53 प्रतिशत था और रिजर्व शटडाउन को छोडकर उपलब्धता कारक 88.06 प्रतिशत था।

उत्तर आकडों की विसंगति की पुष्टि करता है।

डीपीई ने उपरोक्त (i) के संदर्भ में बताया (जनवरी 2017) कि सीपीएसई ने 2014-15 के लिए त्रैमासिक ईआरएमसी बैठकों के कार्यवृत्त उपलब्ध कराए। उपरोक्त (ii) के मामले में, डीपीई ने कहा कि सीपीएसई को इस पैरामीटर पर उत्कृष्ट नहीं दिया गया है और वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक आंकडों के आधार पर अच्छा तथा बहुत अच्छा के बीच अंक दिए गए है।

किंतु एनटीपीसी ने गलत प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया कि 2014-15 में ईआरएमसी की चार बैठकें की गई थीं, जबकि केवल तीन बैठकें की गई थी। उपरोक्त (ii) के मामलें में डीपीई का उत्तर पुष्टि करता है कि एनटीपीसी ने गलत सूचना प्रस्तुत की।

5.7.6.3 डीपीई दिशानिर्देशों का अननुपालन

एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न विषयों पर डीपीई दिशानिर्देशों के अननुपालन का मूल्यांकन सीपीएसईज द्वारा स्व-प्रमाणीकरण के आधार पर किया जाएगा और एमओयू के मूल्यांकन के समय पर कार्यबल के विवेकानुसार अननुपालन, यदि कोई है, पर एक अंक की कटौती की जाएगी। लेखापरीक्षा ने इस संबंध में निम्नलिखित पाया:

- एनटीपीसी ने डीपीई को प्रस्तुत प्रमाणपत्र के साथ संलग्न अनुबंध में अननुपालन के अपवादों एवं कारणों को दर्शाया था। अनुबंध में बताया गया कि यद्यपि डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार औसत से कम ग्रेड दिए गए 10 प्रतिशत कर्मचारियों को कोई निष्पादन संबंधित भुगतान (पीआरपी) नहीं दिया गया था; फिर भी पारिश्रमिक समिति के अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हे पीआरपी दिया जा रहा था।
- आईओसीएल ने 2014-15 के लिए एमओयू में दर्शाया कि डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाला एक पैरा 2014 की सीएजी की रिपोर्ट संख्या 13 में मुद्रित किया गया था। आईओसीएल से संबंधित पीआरपी, भत्ते, अर्ध वैतनिक/अर्जित

अवकाश के नकदीकरण आदि पर दो अन्य पैरा भी 2016 की सीएजी की रिपोर्ट सं. 15-खंड II में शामिल किए गए थे जिन्हें 2015-16 की एमओयू में शामिल नहीं किया गया था।

- गेल ने पीआरपी के भुगतान, नकद इनाम के भुगतान, अनुग्रह अदायगी आदि से संबंधित डीपीई दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया था और अर्जित तथा अर्ध वैतनिक अवकाश के नकदीकरण पर एक पैरा 2014 की सीएजी की रिपोर्ट सं. 13 में मुद्रित किया गया था।

तथापि,यह देखा गया कि यद्यपि इन सीपीएसईज ने डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था, फिर भी इन सीपीएसईज के समग्र स्कोर में इन उल्लंघनों के कारण कोई कमी नहीं की गई थी तथा स्व-प्रमाणीकरण स्वीकार कर लिए गए थे।

एनटीपीसी ने कहा (दिसंबर 2016) कि अंक देना/शास्ति दिया जाना एमओयू मूल्यांकन के समय कार्यबल के विवेकानुसार था।

आईओसीएल ने बताया (नवम्बर 2016) कि 2014-15 के एमओयू में इसने उल्लेख किया था कि अर्ध वैतनिक/बीमारी/अर्जित अवकाश के नकदीकरण पर एक सीएजी पैरा था और 2015-16 के एमओयू मे उक्त प्रकटन नहीं किया गया था चूंकि एमओयू की प्रस्तुति के बाद ही सीएजी रिपोर्ट में पैरा शामिल किए गए थे। गेल ने बताया (नवम्बर 2016) कि पीआरपी पर डीपीई दिशानिर्देशों का व्यापक रूप से पालन किया जा रहा था तथा अर्ध वैतनिक अवकाश के नकदीकरण की अनुमति उद्यम की प्रथा के अनुसार दी जा रही थी।

सीपीएसईज के उत्तर ने पुष्टि की कि विभिन्न डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ था, किंतु डीपीई ने समग्र स्कोर में कटौती करने के लिए ऐसे उल्लंघनों पर विचार नहीं किया, हालांकि इसका एमओयू में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन सीएमडी द्वारा स्वप्रमाणीकरण पर आधारित था और 2015-16 के दौरान 64 सीपीएसईज़ के संबंध में नकारात्मक अंक दिए गए हैं।

उत्तर से यह सपष्ट नहीं है कि क्या पैरा में संदर्भित सीपीएसईज़ को नकारात्मक अंक दिए गए है। इसके अलावा, उत्तर में 2014-15 में नकारात्मक अंकन के विषय में कुछ नहीं बताया गया है।

5.7.6.4 बोर्ड स्तर के अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का गैर-प्रमाणीकरण

एमओयू दिशानिर्देशों में प्रावधान था कि पैरामीटरों के मूल्यांकन के लिए सीपीएसईज द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज संबंधित सीपीएसईज के बोर्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। इसके अलावा 2015-16 में एमओयू के लिए समझौता बैठक के कार्यवृत्तों में भी प्रावधान था कि सभी दस्तावेज कम से कम एक कार्यशील निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए। तथापि यह देखा गया कि एनटीपीसी मे एमओयू के कुछ पैरामीटरों से संबंधित दस्तावेज, जिनकी जानकारी वार्षिक रिपोटों/तृतीय पक्ष प्रमाणिकरण में उपलब्ध नहीं थी, बोर्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित नहीं थे।

एनटीपीसी ने उत्तर दिया (दिसंबर 2016) कि डीपीई द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के दौरान मांगे गए सभी आवश्यक समर्थक दस्तावेज उसकी आवश्यकताओं/हस्ताक्षरित एमओयू के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर उपलब्ध कराए जाते है। 2015-16 के वित्तीय मापदंडों के सत्यापन हेतु, समर्थक दस्तावेज डीपीई की आवश्यकतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए जाएगें।

उत्तर से एनटीपीसी द्वारा एमओयू दिशानिर्देशों के अननुपालन की पुष्टि होती है।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) बोर्ड स्तर पर प्रमाणीकरण उसी मामले में आवश्यक था जहां पर्याप्त/संतोषजनक दस्तावेज उपलब्ध नही कराए गए थे। एमओयू मूल्यांकन बोर्ड स्तरीय प्रमाणीकरण पर आधारित होते हैं, यदि वार्षिक रिपोर्ट, तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण इत्यादि में विवरण मुद्रित नहीं किए गए हैं।

हालांकि लेखापरीक्षा ने डीपीई दिशानिर्देशों के अननुपालन पर टिप्पणी की थी चूंकि एनटीपीसी ने ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये जिनमें बोर्ड स्तरीय प्रमाणीकरण के बिना ही वार्षिक रिपोर्ट/तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण में अनुपलब्ध सूचना सम्मिलित थी।

5.7.7 लक्ष्य समंजन के लिए ब्यौरों की विलंब से प्रस्तुति

भेल के वर्ष 2014-15 के एमओयू में 'उत्कृष्ट' रेटिंग के लिए ₹ 45,600 करोड़ के बिक्री टर्नओवर और प्रत्येक कम रेटिंग के लिए 5 प्रतिशत कम की परिकल्पना की गई थी यद्यपि, भेल ने 2014-15 के लिए ₹ 34,000 करोड़ के संभावित टर्नओवर का प्रक्षेपण किया था। कार्यबल/डीपीई ने सहमति दी कि यदि कुछ परियोजनाओं के रद्द होने से संबंधित प्रक्षेपण सच हो जाते है तो मूल्यांकन के समय उचित ध्यान दिया जाएगा।

भेल ने घटे हुए बिक्री टर्नओवर के प्रति 2014-15 की स्व मूल्यांकन रिपोर्ट में अपने वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन किया था। डीपीई ने भेल को सूचना दी (19 नवम्बर, 2015) कि संमजन के लिए आवेदन व्यापक कारण सहित पैरामीटर-वार प्रस्तुत किया जाना था और उक्त को पैरामीटर-वार परिभाषित किया जाना था। डीपीई ने आगे सूचना दी (24 नवम्बर 2015) कि स्व मूल्यांकन में दावा किए गए समंजन का कारणों एवं स्वं मूल्यांकन पर प्रभाव सहित रूकी हुई परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार परिमाणन नहीं किया गया है जैसा एमओयू दिशानिर्देशों द्वारा अपेक्षित है। ऐसी सूचना प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिश के साथ 26 नवम्बर 2015 को 16:00 बजे तक डीपीई को प्रस्तुत की जानी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि चूंकि भेल/डीएचआई निर्धारित समय में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं कर सके, अत: डीपीई/कार्य बल ने बिक्री टर्नओवर में कमी के प्रति समंजन पर विचार किए बिना एमओयू के मूल्यांकन को पूरा कर दिया था।

भेल ने बताया (नवम्बर 2016) कि डीपीई ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए बहुत कम समय दिया था और भेल स्वयं 26 नवम्बर 2015 को अपनी प्रतिक्रिया डीएचआई

को भेज सका था जिसकी एक अग्रिम प्रति डीपीई को भेजी गई थी। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने इसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया। यह भी बताया गया कि डीपीई ने टिप्पणी की थी कि कार्यवृत्तों के अनुसार अन्य वित्तीय पैरामीटरों हेतु समंजन प्रयोज्य नहीं था।

इस उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि भेल ने रूकी हुई परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत नहीं की थी और डीपीई/कार्यबल द्वारा अपेक्षित वित्तीय पैरामीटरों (परियोजना वार और पैरामीटर वार) को इसने कैसे प्रभावित किया और प्रस्तुत की गई यह सूचना प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिश सहित निर्धारित समय में डीपीई/कार्यबल के पास नहीं पहुंची। इस संबंध में विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में भेल को समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देते समय ज्ञात था और रूकी हुई परियोजनाओं के आधार पर समंजन का दावा करने के लिए अग्रसक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिश पर सीपीएसई द्वारा दावा किए गए संमजन को कार्यबल मूल्यांकन बैठकों में वार्ता पर आधारित सिफारिशों पर अध्यक्ष, एचपीसी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था।

डीपीई का उत्तर पुष्टि करता है कि भेल ने रूकी हुई परियोजनाओं के प्रति समंजन प्राप्त करने का अवसर खो दिया था, क्योंकि उसने तय समय के भीतर संबद्ध जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

5.7.8 सामान्य

(i) डीपीई ने एमओयूज़ को संबंधित सीपीएसईज की बेवसाईट पर डालकर प्रकाशित करने को प्रोत्साहित किया था। यह देखा गया कि भेल ने अपनी वेबसाईट पर एमओयूज़ नहीं डाले थे।

भेल ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि पूंजीगत माल क्षेत्र में प्रचालित इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण कंपनी के रूप में इसने कई अन्य सीपीएसईज़ की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश का सामना किया है। इसके अलावा, एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते यह उन वित्तीय पैरामीटरों पर भावी मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता, जो संभवत: इसके शेयर कीमत को प्रभावित कर सकते है।

इस उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाए कि दो अन्य सूचीबद्ध सीपीएसईज़ (एनटीपीसी तथा ओएनजीसी) ने एक अच्छी प्रथा के रूप में अपनी वेबसाईटों पर अपने एमओयूज़ प्रकाशित किए है, जैसा कि डीपीई ने सिफारिश की थी।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि प्रमाणीकरण के बाद डीपीई प्रशासनिक मंत्रालय/सीपीएसई को हस्ताक्षरित एमओयू संसद के पटल पर रखने तथा नामों को वेबसाईट पर अपलोड करने का परामर्श देता है।

(ii) ओएनजीसी तथा आईओसीएल के 2015-16 के एमओयूज़ की समीक्षा के पता चला कि इन सीपीएसईज के एमओयूज़ में प्रावधान था कि यदि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुपालन प्रमाणपत्रों और सीएजी की रिपोर्टों (वाणिज्यिक तथा अनुपालन लेखापरीक्षा) के बीच कोई विसंगति पाई गई तो उन्हें डीपीई द्वारा समग्र रेटिंग से एक अंक काटकर दंडित किया जाएगा। इस संदर्भ में लेखापरीक्षा ने नोट किया कि इस अध्ययन हेतु चयनित सीपीएसईज सहित अन्य सीपीएसईज भी सीएजी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के अधीन थे। अतः सीपीएसईज के एमओयूज़ में समान अनुबंध शामिल करना एक अच्छी प्रथा होगी क्योंकि यह सीपीएसईज द्वारा प्रस्तुत अनुपालन प्रमाणपत्रों के संदर्भ में आश्वासन को बढ़ाएगी।

5.7.9 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए 'महारत्न' कंपनियों के एमओयूज़ को कवर करने वाली लेखापरीक्षा से सीपीएसईज के बोर्ड द्वारा ड्राफ्ट एमओयू के अनुमोदन, ड्राफ्ट एमओयू सहित वार्षिक योजना/वार्षिक बजट/कॉरपोरेट योजना की अप्रस्तुति, योजनाओं सहित एमओयू लक्ष्यों के गैर-संरेखण तथा अंतिम एमओयू पर हस्ताक्षर करने में विलंब में विसंगतियों का पता चला। डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में अनुबंध के प्रति सीपीएसईज ने राष्ट्रीय और आंतरिक समकक्षों के साथ बेंचमार्किंग नहीं की थी तथा एमओयूज़ में दर्शाए गए लक्ष्य एसएमएआरटी (विशिष्ट, परिमेय, प्राप्य, परिणामोन्मुख, वास्तविक) मापदंड को पूरा नहीं करते। प्राय: लक्ष्यों को 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने की इच्छा से क्षमता से कम पर निर्धारित किया जाता था। इस अध्ययन में कवर की गई सात सीपीएसईज में से एक ने उच्चतर रेटिंग प्राप्त करने के लिए अनुमानित टर्नओवर शामिल करने का सहारा भी लिया। लेखापरीक्षा ने एमएसएमई दिशानिर्देशों/डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में सीपीएसईज द्वारा गलत और/या अपूर्ण प्रमाणीकरण तथा स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट में गलत सूचना भी देखी। एमओयूज़ के अंतिम मूल्यांकन के समय डीपीई/कार्यबल ने सूचना का उचित वैधीकरण नहीं किया था। बोर्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा डीपीई/कार्यबल को प्रस्तुत दस्तावेजों के गैर प्रमाणीकरण तथा सूचना की विलंब से प्रस्तुति, जिसके कारण कम रेटिंग मिली, भी देखी गई थी।

उपरोक्त कमियों पर काबू पाने के लिए लेखापरीक्षा डीपीई, सीपीएसईज तथा उनके प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा विचार करने तथा कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सिफारिशों का सुझाव देता है:

- **यह सुनिश्चित किया जाए कि एमओयूज़ को लक्ष्य निर्धारण पर यथावत ध्यान देते हुए, जिससे सीपीएसईज में बेहतर निष्पादन हो सकता है, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित समय में तैयार किया एवं इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।**

- **डीपीई में वैधीकरण प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करने हेतु सुदृढ़ किया जाए कि किसी अपूर्ण या गलत सूचना और/या प्रमाणीकरण की अन्य मंत्रालयों तथा भागीदारों के साथ उचित समन्वय के माध्यम से एमओयूज़ के अंतिम मूल्यांकन से पूर्व जांच पड़ताल की जा सकती है।**

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि 2016-17 तथा 2017-18 हेतु एमओयू दिशानिर्देश पहले से ही अनुमोदित थे और लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए अधिकतर मुद्दों का इन दिशानिर्देशों में पर्याप्त रूप से निराकरण किया गया है।

(एच. प्रदीप राव)
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांक: 31 जनवरी 2017

प्रति हस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 01 फरवरी 2017